कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा

कमांक :–ननिको/फायर/2015/ 638 दिनांक 15-09-15

प्रेषित :–

श्रीमान सचिव महोदय,
नगर विकास न्यास कोटा।

विषयः–मैसर्स सुवालका एण्ड सुवालका, प्रोपर्टीज एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा भू सं. 1 से 4 राजीव गांधी नगर विस्तार आईपीआईए कोटा में बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु अस्थाई अभिशंषा पत्र बाबत्।

प्रसंगः–मैसर्स सुवालका एण्ड सुवालका, प्रोपर्टीज एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2015 एवं 11.09.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री/**मैसर्स सुवालका एण्ड सुवालका, प्रोपर्टीज एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0** ने दिनांक **20.03.2015** को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **भू सं. 1 से 4 राजीव गांधी नगर विस्तार आई.पी.आई.ए. कोटा** में बहुमंजिला इमारत (रिहायशी/व्यावसायिक) का संलग्न नक्शें के अनुसार निर्माण करवाना चाहतें है, अतः अग्निशमन की दृष्टि से उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाए। इस कम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु प्रार्थी **श्री नीरज सुवालका 351 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम कुन्हाडी कोटा** को निम्न शर्तो का पालना करनी होगी

1. भवन/इमारत का निर्माण नगर विकास न्यास/नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/इमारत में फायर हाइड्रेण्ट, वेट–राइजर सिस्टम मय होज रील, होज–पाइप आदि, आपात्कालीन बचाव की सीढियां, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होगे।
3. भवन/इमारत के चारों ओर अग्निशनम वाहन की सरलता से पहुंच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. भवन की अधिकतम ऊचाई 40 मीटर से अधिक स्वीकृत नही की जावे।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुरूप न्यूनतम 20 फुट खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

P.T.O.

15.09.15

D/R/FIRE LETTER

8. फायर प्रिवेन्शान, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआं निकासी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एन0बी0सी0 के अनुरूप रिफ्यूजी ऐरिया छोडना होगा।
10. आवेदक को फायर शुल्क या अन्य कोई नगर निगम का शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अग्निशमन अभिशंषा निरस्त कर दी जावेगी।

भवन/इमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवश्यक होगा। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण करवाकर अग्निशमन अभिशंषा पत्र की अवधि बढवानी होगी व अस्थाई अभिंशषा पत्र अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र लेना अनिर्वाय होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानों में त्रृटि/कमी पाई जाती है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा